भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services &Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone:25487217/25487267

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-1445/2023
Ref: DCSEM/Enft/e-1445/2023/1930

19.12.2023

**परिपत्र CIRCULAR**

**विषय: विभागीय आवासीय कॉलोनी के सार्वजनिक परिसर में की गई गतिविधियों के संबंध में।**
**Sub: Activities undertaken in public premises in departmental residential colony – reg.**

इस निदेशालय के संज्ञान में ऐसे मामले लाए गए हैं कि अणुशक्तिनगर/मंडाला के इमारतों के रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना विभागीय आवासीय कॉलोनियों में निर्माण/नवीकरण गतिविधियाँ करने, राजनेताओं के बोर्ड/होर्डिंग को प्रदर्शित करने का कार्य किया है।

Instances have been brought to the notice of this Directorate that Residents Association of buildings in Anushaktinagar/Mandala have carried out construction/renovation activities, fixing/displaying of boards/hoarding of politicians in departmental residential colonies without proper permission of the Competent Authority.

इस संबंध में, सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 और सरकारी आवासों के आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग) नियम 1982 के प्रावधान नीचे दोहराया गया है।

In this regard, the provision under CCS (Conduct) Rules, 1964 and Allotment of Govt. Residence (DAE) Bombay Rules, 1982 are reiterated below:

"यह आवश्यक है कि सरकारी सेवकों को न केवल राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए, बल्कि ऐसा करते हुए दिखना भी चाहिए और उन्हें किसी भी ऐसे संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए, या उसके साथ खुद को संबद्ध नहीं करना चाहिए, जिसके संबंध में यह सोचने का थोड़ा सा भी कारण हो कि संगठन एक राजनीतिक पहलू है।

It is essential that Government servant should not only maintain political neutrality but should also appear to do so and they should not participate in the activities of, or associate themselves with, any organization in respect of which there is the slightest reason to think that the organization has a political aspect."

आबंटित आवास का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। आवंटिती या उसके परिवार का सदस्य या नौकर या आबंटिती के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति निवास या उसके आसपास किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा जहाँ निसेसंप्रनि (तत्कालीन डीईएम) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार है। ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए आबंटिती को जिम्मेदार माना जाएगा और आबंटन रद्द किया जा सकता है।

The residence allotted shall be used for residential purpose only and not for any other purpose/s. Allottee or member of his/her family or servants or any one staying with the allottee shall not indulge in any political activity in or around the residence or its surroundings where the jurisdiction of DCSEM (erstwhile DEM) extends. Allottee shall be deemed responsible for any such activity and the allotment shall be liable to be cancelled.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुंबई में अणुशक्तिनगर/मंडाला/सिटी क्षेत्रों के सभी रेजिडेंट्स एसोसिएशन और अणुशक्तिनगर/पऊवि कॉलोनियों के आबंटितियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अन्य एजेंसी/राजनीतिक दल से कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर पऊवि परिसर के निर्माण/नवीनीकरण, पऊवि परिसर के भीतर राजनीतिक बैनर/पोस्टर/होर्डिंग/साइनेज इत्यादि लगाना/प्रदर्शित करना, जिसे राजनीतिक दल की गतिविधियों में भागीदारी के रूप में माना जा सकता है, जैसी गतिविधियों में शामिल होने से खुद को दूर रखें।

In view of the above, all the Residents Association of Anushaktinagar/Mandala/City areas and allottees of Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai are hereby instructed to desist themselves from engaging in activities such as construction/renovation of DAE premises with the financial support from any other agency / political party, fixing/displaying of political banners /posters/ hoarding /signage etc. within DAE premises, which may be construed as participation in the activities of the political party.

निर्देश का अनुपालन न करने पर सरकारी आवास आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग), बॉम्बे नियम, 1982 के तहत आबंटन रद्द करने के अलावा सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित इकाई के प्रशासनिक प्रमुखों को सूचित किया जाएगा।

Non-compliance of the instruction will be reported to Administrative Heads of concerned Unit for taking disciplinary action under CCS (Conduct) Rules, 1964 besides cancellation of allotment under Allotment of Government Residence (Department of Atomic Energy), Bombay Rules, 1982.

यह निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Director, DCSEM.

191223

(एस एस गोंडाणे S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर/ मुंबई के पऊवि कोलोनियों के सभी आबंटिती - रखरखाव इकाइयाँ के के माध्यम से - प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु

All the allottees of Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai - Through: Respective Maintenance Units for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
2. मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए Administrative Heads of all Units of DAE – For circulation among the employees in their unit.
3. महासचिव आरवा/मारवा/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यू General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM website.